

संस्कृति मंत्रालय
मांग संख्या 18
संस्कृति मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3343.41	63.49	3406.90	3070.92	190.01	3260.93	3070.92	190.01	3260.93	3168.51	192.45	3360.96
वसूलियां	-21.68	...	-21.68
प्राप्तियां
निवल	3321.73	63.49	3385.22	3070.92	190.01	3260.93	3070.92	190.01	3260.93	3168.51	192.45	3360.96
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय	58.34	3.60	61.94	65.54	3.45	68.99	70.79	2.63	73.42	71.42	3.08	74.50
2. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.)	1129.93	16.20	1146.13	1133.53	140.38	1273.91	1057.13	134.86	1191.99	1142.59	135.90	1278.49
3. पुस्तकालय और अभिलेखागार	102.27	23.57	125.84	166.10	22.11	188.21	119.56	28.38	147.94	128.99	27.56	156.55
4. संग्रहालय	105.22	11.42	116.64	110.66	13.06	123.72	114.21	13.13	127.34	111.75	14.88	126.63
5. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एन.एस.आई.)	38.00	8.70	46.70	43.78	11.01	54.79	43.53	11.01	54.54	44.76	11.03	55.79
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1433.76	63.49	1497.25	1519.61	190.01	1709.62	1405.22	190.01	1595.23	1499.51	192.45	1691.96
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
6. शताब्दियां एवं वर्षगांठ, समारोह और स्कीमें	334.39	...	334.39	90.00	...	90.00	110.00	...	110.00	35.00	...	35.00
7. कला संस्कृति विकास योजना	218.36	...	218.36	207.24	...	207.24	207.24	...	207.24	198.50	...	198.50
8. संग्रहालयों का विकास	95.70	...	95.70	165.60	...	165.60	165.60	...	165.60	210.72	...	210.72
9. पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास	4.69	...	4.69	27.24	...	27.24	21.61	...	21.61	53.19	...	53.19
10. वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	24.93	...	24.93	12.10	...	12.10	10.50	...	10.50	4.65	...	4.65
11. राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप मिशन	19.71	...	19.71	18.06	...	18.06	9.47	...	9.47	22.46	...	22.46
12. राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन	3.50	...	3.50	60.00	...	60.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	697.78	...	697.78	520.24	...	520.24	527.92	...	527.92	584.52	...	584.52
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
13. अकादमियों को सहायता	476.59	...	476.59	389.37	...	389.37	497.30	...	497.30	411.42	...	411.42
14. संग्रहालयों को सहायता	425.47	...	425.47	373.70	...	373.70	366.01	...	366.01	379.58	...	379.58

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
15. पुस्तकालयों को सहायता	102.19	...	102.19	110.04	...	110.04	104.92	...	104.92	114.69	...	114.69
16. बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक	158.07	...	158.07	137.77	...	137.77	144.86	...	144.86	158.60	...	158.60
जोड़-स्वायत्त निकाय	1162.32	...	1162.32	1010.88	...	1010.88	1113.09	...	1113.09	1064.29	...	1064.29
अन्य												
17. अनुदानग्राही निकाय	49.55	...	49.55	20.19	...	20.19	24.69	...	24.69	20.19	...	20.19
18. वास्तविक वसूलियां	-21.68	...	-21.68
जोड़-अन्य	27.87	...	27.87	20.19	...	20.19	24.69	...	24.69	20.19	...	20.19
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1190.19	...	1190.19	1031.07	...	1031.07	1137.78	...	1137.78	1084.48	...	1084.48
कुल जोड़	3321.73	63.49	3385.22	3070.92	190.01	3260.93	3070.92	190.01	3260.93	3168.51	192.45	3360.96
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. कला और संस्कृति	3263.39	...	3263.39	2953.35	...	2953.35	2947.34	...	2947.34	3038.64	...	3038.64
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	58.34	...	58.34	65.54	...	65.54	70.79	...	70.79	71.42	...	71.42
3. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	...	59.89	59.89	...	186.56	186.56	...	187.38	187.38	...	189.37	189.37
4. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	3.60	3.60	...	3.45	3.45	...	2.63	2.63	...	3.08	3.08
जोड़-सामाजिक सेवाएं	3321.73	63.49	3385.22	3018.89	190.01	3208.90	3018.13	190.01	3208.14	3110.06	192.45	3302.51
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	52.03	...	52.03	52.79	...	52.79	58.45	...	58.45
जोड़-अन्य	52.03	...	52.03	52.79	...	52.79	58.45	...	58.45
कुल जोड़	3321.73	63.49	3385.22	3070.92	190.01	3260.93	3070.92	190.01	3260.93	3168.51	192.45	3360.96

1. **केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय और केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के वेतन एवं संबद्ध मदों पर होने वाले व्यय सम्मिलित हैं।

2. **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.):** यह प्रावधान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के लिए है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में की गई थी और यह संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके मुख्य कार्यों में विश्व धरोहर स्मारकों और पुरावशेषों सहित संरक्षित स्मारकों और स्थलों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास, उद्यानों का रखरखाव और केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों के आसपास नए उद्यानों का विकास, प्राचीन स्थलों का अन्वेषण और खुदाई, शिलालेख और भारतीय वास्तुकला का विशेष अध्ययन, पुरातत्व स्थल संग्रहालयों का रखरखाव, पुरावशेष और कला सम्पदा अधिनियम का संचालन और पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण शामिल हैं। इसमें 3693 (22 विश्व धरोहर, 10 प्रतिष्ठित और 100 आदर्श स्मारकों सहित) केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक (विश्व धरोहर स्मारकों सहित) हैं जिनमें प्रागैतिहासिक पाषाण युग के स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च और किले शामिल हैं। एएसआई में स्मारकों और पुरावशेषों संबंधी राष्ट्रीय मिशन भी संचालित किया गया है ताकि पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान को संयोजित करते हुए बहुआयामी हिंद महासागर 'विश्व' का अन्वेषण किया जा सके।

3. **पुस्तकालय और अभिलेखागार:** इसमें भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय और केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय के व्यय हेतु प्रावधान है।

4. **संग्रहालय:** इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकरण के व्यय के लिए प्रावधान है।

5. **भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (ए.एन.एस.आई.):** इसमें वर्ष 1945 में स्थापित भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के व्यय के लिए प्रावधान है। यह भारत के लोगों का जैव-सांस्कृतिक अन्वेषण/अनुसंधान करता है तथा भारत के लोगों के बारे में वैज्ञानिक महत्व के दस्तावेजों का संग्रहण और परिरक्षण करता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण अपने मानव विज्ञान अनुसंधान के माध्यम से देश की जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के संबंध में योगदान देता है।

6. **शताब्दियां एवं वर्षगांठ, समारोह और स्कीमें:** वर्ष 2025-2026 के दौरान शताब्दी और वर्षगांठ समारोह योजना के तहत प्रावधान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ, संविधान हत्या दिवस, सहज मार्ग के संस्थापक पूज्य बापू जी महाराज की 125वीं जयंती, डॉ हरे कृष्ण महताब की 125वीं जयंती, किन्नोर में रानी चन्नम्मा की जीत की 200वीं वर्षगांठ, अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती और तुलनात्मक दर्शन एवं धर्म अकादमी के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में किया जाएगा।

7. **कला संस्कृति विकास योजना:** यह वित्तीय प्रावधान कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के लिए है। इस व्यापक योजना में मिशन और योजनाएं शामिल हैं जैसे; राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप, सांस्कृतिक अवसरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता योजना, वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता योजना, गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय पुरस्कार योजना और सेवा भोज योजना।

8. **संग्रहालयों का विकास:** संग्रहालय के विकास के अंतर्गत यह प्रावधान संग्रहालय अनुदान स्कीम, विज्ञान की संस्कृति के संवर्द्धन हेतु स्कीम, केदारनाथ परियोजना का पुनर्विकास, वाडनगर में राष्ट्रीय आनुभाषिक स्थल संग्रहालय से संबंधित कार्यकलापों के व्यय के लिए है।

9. **पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का विकास:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुरालेखीय निधान सरकारी पुस्तकालय और संग्रहालय के लिए वित्तीय सहायता की योजना, पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों, पुराने और दुर्लभ दस्तावेजों के परिरक्षण, संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना, पंजीकृत स्वैच्छिक अभिलेखों के इतिहास से संबंधित गतिविधियों के खर्च के लिए है।

10. **वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए योजना को अनुदान, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यात्रा अनुदान के लिए है।

11. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप मिशन:** राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत प्रावधान में डेटा, मानचित्रण, जनसांख्यिकी निर्माण, प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देना और बेहतर निष्कर्षों के लिए सभी सांस्कृतिक कार्यकलापों को एकछत्र के अंतर्गत लाना शामिल है।

12. **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन से संबंधित कार्यविधियों पर व्यय के लिए है जिसका उद्देश्य देश में उपलब्ध पांडुलिपियों की पहचान करने, पहचान की गई पांडुलिपियों के प्रलेखन तथा पांडुलिपि विरासत को देश भर में सुगम्य बनाने के उद्देश्य से इस मिशन से संबंधित कार्यकलापों के व्यय हेतु है।

13. **अकादमियों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान और सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

14. **संग्रहालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय कला संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, सालारजंग संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

15. **पुस्तकालयों को सहायता:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी (कोलकाता), खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी और रामपुर रजा पुस्तकालय हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

16. **बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं स्मारक:** इसमें स्वायत्त निकायों अर्थात् गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, नव नालंदा महाविहार, केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय हिमालयी सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान हेतु व्यय का प्रावधान शामिल है।

17. **अनुदानग्राही निकाय:** इसमें वृंदावन अनुसंधान संस्थान, तिब्बत हाउस, बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन तवांग बौद्ध मठ केन्द्र, नामग्याल तिब्बती शास्त्र संस्थान, जीआरएल बौद्ध मठ विद्यालय बोमडिला, तिब्बती कार्य पुस्तकालय एवं अभिलेखागार, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, एशियाटिक सोसाइटी (सुंबई), तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय और कोचेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित कार्यकलापों के लिए व्यय का प्रावधान शामिल है।